रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2003

REGISTERED No. DL—33001/2003

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 2003 (ज्येष्ठ 17, 1925)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 2003 (JYAISTHA 17, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 683

भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 433

भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 711

भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *

भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *

भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)

भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 807

भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 2061

भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं *

भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 7437

भाग IV- सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 163

भाग V-- अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 683

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 433

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 711

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 807

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 2061

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 7437

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 163

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . . *

* not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2003

स. यू-14040/24/99/ए.एन.एल.

रिट याचिका सं0 048/99 (पी0आई0एल0) में सी ए एन सं0 029/2003 - सुश्री श्यामली गांगुली, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य में कोलकाता उच्च न्यायालय (पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट शाखा) के दिनांक 1.4.2003 के आदेश के अनुसरण में गृह मंत्रालय की दिनांक 21.07.2001 की अधिसूचना सं0 यू-14040/24/99-ए0एन0एल0 के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने संबंधी समय-सीमा को केन्द्र सरकार द्वारा 28.07.2003 तक बढ़ाया जाता है।

पी0के0 जलाली

(पी0के0 जलाली)
संयुक्त सचिव

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2003

संकल्प

सं. एफ. 9-2/2003-एम. 1

राष्ट्रपति, इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी नियमावली एवं विनियमों के नियम 4, 23 और 39 के तहत क्रमशः इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी, कार्यकारी समिति तथा वित्त समिति को इस संकल्प के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उक्त समितियों को पुनर्गठित नहीं किया जाता तब तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुनर्गठित करते हैं।

इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी की संरचना

नियम 4 (क) के तहत

क.सं.	सदस्य का नाम	पद-स्तर
(i)	डॉ. जी.सी. पांडे 11, बलरामपुर हाउस इलाहाबाद	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (संग्रहालयों के कार्य प्रभारी) संस्कृति विभाग पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार	पदेन-सदस्य
(iii)	वित्त सलाहकर संस्कृति विभाग भारत सरकार	पदेन सदस्य
(iv)	1. प्रो. विद्या निवास मिश्र पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य

	2. श्री सुनीत व्यास, 12/8 न्याय मार्ग, सर्किट हाउस के सामने इलाहाबाद-211001	सदस्य
	3. सुश्री चारु मित्तल बी-10/7554 (ग्राउंड फ्लोर) वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070	सदस्य
	4. श्री आर.सी. त्रिपाठी, पूर्व महा सचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली	सदस्य
	5. आयुक्त, इलाहाबाद मंडल, इलाहाबाद	पदेन सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव (नीति) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
(vi)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से मनोनीत	पदेन सदस्य
(vii)	(i) उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बाद में अधिसूचित किया जाना है	
	(ii) -वही-	
	(iii) -वही-	
(viii)	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय, चन्द्र शेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद	सदस्य सचिव

इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी की कार्यकारी समिति
नियम -23 के तहत

क.सं.	सदस्य का नाम	पद-स्तर
(i)	डॉ. जी.सी. पांडे 11, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद	अध्यक्ष
(ii)	श्री आर.सी.त्रिपाठी, पूर्व महासचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली	सदस्य

(iii)	श्री सुनीत व्यास, 12/8 व्याय मार्ग, सर्किट हाउस के सामने, इलाहाबाद -211001	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव (संग्रहालय कार्य प्रभारी) संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली	पदेन सदस्य
(v)	वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय	पदेन सदस्य
(vi)	उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
(vi)	निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद	सदस्य-सचिव

वित्त समिति
नियम 39 के अंतर्गत

क.सं.	सदस्य का नाम	पद-स्तर
(i)	वित्तीय सलाहकार संस्कृति विभाग पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	संग्रहालयों के प्रभारी निदेशक/उप सचिव (संस्कृति विभाग) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
(iii)	1. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
	2. प्रो. विद्या निवास मिश्र, पूर्व उप कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानंद संस्कृत, विश्वविद्यालय	सदस्य
(iv)	निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद	सदस्य

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. सुब्बा 12.1.28

(एम. सुब्बारायण)
अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th My 2003

No. U-14040/24/99-ANL—

In pursuance of the order dated 1-4-2003 of the High Court of Calcutta (Circuit Bench at Port Blair) in CAN No.029/2003 in W.P. No.048/99 (PIL) – Ms. Shyamali Ganguly, Advocate Vs Union of India and Others, the time limit laid down for the Committee of Experts set up vide Ministry of Home Affairs's Notification No.U-14040/24/99-ANL dated 21-7-2001 for submission of its report is hereby further extended by the Central Government upto 28-07-2003.

(P K JALALI)
JOINT SECRETARY

MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
(Department of Culture)

New Delhi, the 19th My 2003

RESOLUTION

No. F. 9-2/2003. M.I.—

The President is pleased to re-cons[illegible]he Allahabad Museum society, Executive Committee and Finance Committee under **Rule 4, 23 and 39 respectively of the Rules and Regulations of Allahabad Museum Society for a period of five years w.e.[illegible]** from the date of issue of the resolution or till the Committees are reconstituted whichever is earlier.

COMPOSITION OF ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY
Under Rule 4(a)

Sl.No.	Name of the Member	Status
(i)	Dr.G.C. Pande 11, Balram Pur House, Allahabad	Chairman
(ii)	Joint Secretary.(dealing with the Museums) Deptt. of Culture Ministry of Tourism and Culture Government of India	Ex-officio Member
(iii)	Financial Adviser, Department of Culture, Government of India	Ex-officio Member
(iv)	1. Prof. Vidya Niwas Mishra Former Vice Chancellor, MG Kashi Vidyapith and Sampurananand Sanskrit Vishwavidyalya, Varanasi	Member
	2. Shri Sunit Vyas. 12/8 Nyay Marg, Opp. Circuit House.Allahabad-211001	Member

	3. Ms. Charu Mittal, B-10/7554(GF) Vasant Kunj, New Delhi-1100070	Member
	4. Shri R.C. Tripathi, Former Secretary General, Rajya Sabha, New Delhi	Member
	5. Commissioner of Allahabad Division, Allahabad	Ex-officio Member
v)	Joint Secretary,(Policy), Ministry of information and Broadcasting, New Delhi	Ex-officio Member
vi)	Nominee from Ministry of Environment and forest, New Delhi	Ex-officio Member
vii)	(i) Representatives of the Uttar Pradesh Government **to be notified later**	
	(ii) **-do-**	
	(iii) **-do -**	
viii	Director, Allahabad Museum, Chandra Sekhar Azad Park Allahabad	Member Secretary

EXECUTIVE COMMITTEE OF ALLAHABAD MUSEUM SOCIETY

Under Rule–23

Sl.N	Name of the Member	Status
(i)	Dr.G..C. Pande, 11, Balrampur House, Allahabad	Chairman
(ii)	Shri R.C. Tripathi, Former Secretary General, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi	Member
(iii)	Shri Sunit Vyas, 12/8 Nyay Marg, Opp. Circuit House, Allahabad-211001	Member
iv)	Joint Secretary dealing with the Museums, Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture	Ex-officio Member

v)	Financial Adviser, Department of Culture Ministry of Tourism and Culture	Ex-officio Member
vi	Representative of the Uttar Pradesh Government	Ex-officio Member
vi)	Director, Allahabad Museum, Allahabad	Member-Secretary

Finance committee
Under Rule 39

Sl.No.	Name of the Member	Status
(i)	Financial Advisor, Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture	**Chairman**
(ii)_	Director/Deputy Secretary dealing with the Museums. (Department of Culture) Ministry of Tourism and Culture Government of India	**Ex-officio Member**
(iii)	(1) Joint Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh	**Ex-officio Member**
	2) Prof. Vidya Niwas Mishra, Former Vice Chancellor, MG Kashi Vidyaapith Sampurananand Sanskrit Vishwavidyalya.	**Member**
iv)	Director, Allahabad Museum Allahabad	**Member**

Ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for General Information

(M.Subbarayan)
Under Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003